रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273092
CG-DL-E-03062026-273092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2650]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948
No. 2650]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

विद्‌युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 2743(अ).—जबकि मेसर्स एमपीएसईज़ेड यूटिलिटीज लिमिटेड (एमयूएल),जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस- जी- हाईवे, अहमदाबाद – 382421, गुजरात, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “गुजरात के नवीनाल के पास वितरण लाइसेंसधारी के रूप में मेसर्स एमयूएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/100/2025-PG दिनांकित 28.10.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “गुजरात के नवीनाल के पास वितरण लाइसेंसधारी के रूप में मेसर्स एमयूएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एमयूएल ने स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका (हिंदी) दिनांक 30.10.2025, दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेज़ी) दिनांक 30.10.2025, कच्छमित्र (गुजराती) दिनांक 30.10.2025 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 06.12.2025 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एमयूएल ने 23.02.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के

आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

मेसर्स एमयूएल ने दिनांक 19.05.2026 को एक वचन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन(नो) का मार्ग राजस्थान के संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) प्राथमिकता क्षेत्र के बाहर स्थित है, जैसा कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश में संदर्भित है। आवेदक ने यह भी वचन दिया है कि वह उक्त निर्णय में निहित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्देशों तथा उक्त आदेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पूर्णतः पालन करेगी। साथ ही, आवेदक ने यह भी बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन का संरेखण इस प्रकार बेहतर बनाया गया है कि जहाँ तक संभव हो, वे अधिकतम साझा मार्ग का उपयोग करें।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत "गुजरात के नवीनाल के पास वितरण लाइसेंसधारी के रूप में मेसर्स एमयूएल को अस्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली" के तहत ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है:

- 400 केवी डी/सी समर्पित ट्रांसमिशन लाइन अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल), मुंद्रा जेनरेटिंग स्टेशन से 400 केवी एमपीएसईजेड यूटीलिटीज लिमिटेड, मुंद्रा तक।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन गुजरात राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी:

क्र. सं.	गाँव के नाम	तहसील	ज़िला
	नानी खाखर, सुखपर, फरादी	मांडवी	कच्छ
	नानी खाखर, सुखपर, रमणिया, डेपा, मोती खाखर, कंडागरा, धर्मशाला, टुंडा, वंध, सिराचा आरएफ, डांडेरी आरएफ, नवीनल आरएफ, मुंद्रा ढोआ आरएफ, मुंद्रा मैंग्रोव रिझर्व फॉरेस्ट, धर्मशाला, नावीनाल, सिराचा, देसलपर, गेलडा, भुजपर मोटा, भुजपर नाना, प्रतापर, बोराना, जरपारा, आरएफ, धरब, मेडी, आरएफ प्लांटेशन	मुंद्रा	कच्छ

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एमयूएल को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तो के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।

ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।

iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।

vi. मेसर्स एमयूएल को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/37/2026-पावरग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 26th May, 2026

S.O. 2743(E)—Whereas M/s MPSEZ Utilities Limited (MUL), the applicant with its registered Office at Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishno Devi Circle, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad- 382421, Gujarat, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission System for providing interim connectivity to M/s MPSEZ Utilities Limited as Distribution Licensee near Navinal, Gujarat".

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/100/2025-PG dated 28.10.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission System for providing interim connectivity to M/s MPSEZ Utilities Limited as Distribution Licensee near Navinal, Gujarat"

M/s MPSEZ Utilities Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Kutchmitra (Gujrati) dated 30.10.2025, Rajasthan Patrika dated 30.10.2025, The Indian Express dated 30.10.2025, and in Weekly Gazette of India dated 06.12.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently M/s MPSEZ Utilities Limited has submitted an affidavit dated 23.02.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of Publication of public notice.

M/s MPSEZ Utilities Limited has submitted an Undertaking dated 19.05.2026 stating that the route of the proposed overhead transmission line(s) is located outside the Revised Great Indian Bustard (GIB) Priority Area of Rajasthan and Gujarat, as referred to in the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019; the applicant has further undertaken to comply with all directions of the Hon'ble Supreme Court as contained in the said judgment as well as with any subsequent directions issued by the competent authorities in pursuance of the above order by the Hon'ble Supreme Court, and has also stated that the transmission line alignment has been optimized, in such a way that they share maximum common stretch to the extent possible.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission System for providing interim connectivity to M/s MPSEZ Utilities Limited as Distribution Licensee near Navinal, Gujarat". The following overhead line is covered under this scheme:

- 400 KV D/C dedicated transmission line from Adani Power Limited (APL), Mundra Generating Station to 400 kV Main S/s of MPSEZ Utilities Limited in Mundra.

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Gujarat:

Sl. No.	Name of the Village	Tehsil	District	State
1	Nani Khakhar, Sukhpar, Faradi	Mandvi	Kachchh	Gujarat
2	Nani Khakhar, Sukhpar, Ramania, Depa, Moti Khakhar, Kandagara, Dharmsala, Tunda, Wandh, Siracha RF, Danderi RF, Navinal RF, Mundra Dhoa RF, Mundra Mangrove Reserved Forest, Dharmsala, Navinal, Siracha, Desalpar, Gelada, Bhujpar Mota, Bhujpar Nana, Pratapar, Borana, Jarpara, RF, Dhrab, Medi, RF Plantation	Mundra	Kachchh	

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s MPSEZ Utilities Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

i. The approval is granted for 25 years.

ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

vi. M/s MPSEZ Utilities Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court.

[F. No. 25-16/37/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.06.03 14:11:54 +05'30'